



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1607/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2012-43-मा०सं०(04)/2008(टी०सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को परिचय पत्र निर्गत किए जाने का दायित्व आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण ईकाइयों को दिया जाता है। आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण ईकाई कार्यालय पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों को परिचय पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र को हरे एवं नीले रंग में अपने स्तर पर मुद्रित करवा कर पी०पी०ओ० के साथ ही निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1607 (1)/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/कारपोरेट स्ट्रेटिजी/मा०सं०(02/03)/वित्त/वित्त एवं लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण ईकाई कार्यालय, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य प्रबन्धक, कौश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvnl.org](http://www.uprvnl.org) पर अपलोड करने हेतु।
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-04)

## पारिवारिक विवरण

क्र०सं० नाम कारपोरेशन सेवक से सम्बन्ध आयु

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

### नवीनीकरण

पेंशनर की मृत्यु दिनांक.....के बाद.....जो मृतक की.....है  
को पारिवारिक पेंशन नवीनीकृत किया गया.....तिथि.....

अधिशायी अभियन्ता / लेखाधिकारी

### स्थानान्तरण

1. ....जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जारी।  
तिथि.....अधिशायी अभियन्ता / लेखाधिकारी
2. ....जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जारी।  
तिथि.....अधिशायी अभियन्ता / लेखाधिकारी

1. परिचय पत्र जिस व्यक्ति का है उसी के प्रयोग हेतु मान्य है।
2. पेंशनर की मृत्यु की दशा में यदि परिवार के किसी सदस्य को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है, के नाम परिचय पत्र नवीनीकृत करा लिया जाये।
3. परिचय पत्र खोने / नष्ट होने की दशा में 25 रु० शुल्क देकर दूसरा बनवाया जा सकता है।
4. परिचय पत्र में अनाधिकृत काट-पीट / अपरिलेखन कर परिवर्तन वर्जित है। ऐसा करने से परिचय पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा।
5. स्थानान्तरण की दशा में अधिशायी अभियन्ता / लेखाधिकारी से प्रविष्टियां संशोधित करा ली जाय।

क्रम संख्या.....

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



## पेंशनर परिचय पत्र

नाम.....  
अन्तिम धारित पद.....  
कार्यालय / विभाग.....  
वेतन / वेतनमान.....  
पता.....  
तिथि.....  
सेवानिवृत्त की तिथि.....  
पी०पी०ओ० सं०-.....पेंशन / पा० पेंशन जारी करने  
वाला अधिकारी.....

कार्मिक की  
सेवानिवृत्त  
से 6 माह  
तक का  
फोटोग्राफ

अधिशायी अभियन्ता / लेखाधिकारी  
पेंशन आहरण वितरण कार्यालय

## पारिवारिक वितरण

क्र०सं०	नाम	निगम सेवक से सम्बन्ध	आयु
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....

### पेंशन भुगतान स्थान परिवर्तन

1. .... से पेंशन भुगतान स्थान परिवर्तन के बाद पुनः जारी।

तिथि..... अधिशाषी अभियन्ता/लेखाधिकारी

2. .... से पेंशन भुगतान स्थान परिवर्तन के बाद पुनः जारी।

तिथि..... अधिशाषी अभियन्ता/लेखाधिकारी

- परिचय पत्र जिस व्यक्ति का है उसी के प्रयोग हेतु मान्य है।
- पेंशनर की मृत्यु की दशा में यदि परिवार के किसी सदस्य को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है, के नाम परिचय पत्र नवीनीकृत करा लिया जाये।
- परिचय पत्र खोने/नष्ट होने की दशा में रू० 25 शुल्क देकर दूसरा बनवाया जा सकता है।
- परिचय पत्र में अनाधिकृत काट-पीट/अपरिलेखन कर परिवर्तन वर्जित है। ऐसा करने से परिचय पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा।
- पेंशन भुगतान स्थान परिवर्तन की दशा में अधिशाषी अभियन्ता/लेखाधिकारी से प्रविष्टियां संशोधित करा ली जाय।

क्रम संख्या .....

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

### पेंशनर परिचय पत्र

पेंशनर का नाम.....

अन्तिम धारित पद .....

अन्तिम कार्यालय .....

वेतन/वेतनमान .....

पता .....

सेवानिवृत्ति की तिथि .....

पी०पी०ओ० सं० .....

पेंशन/पा० पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाला अधिकारी .....

कार्मिक की  
सेवानिवृत्ति से  
6 माह पूर्व  
तक की फोटो  
ग्राफ

अधिशाषी अभियन्ता/लेखाधिकारी.  
पेंशन आहरण वितरण कार्यालय